एम. श्रीनिवास प्रसाद एवं अन्य

बनाम

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं अन्य

29 मार्च, 2007

[एच.के. सेमा और वी.एस. सिरपुरकर, जे.जे.]

सेवा कानूनः

वरिष्ठता-परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अनुभाग अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती की वरिष्ठता का निर्धारण-दावा करता है कि प्रारंभिक नियुक्ति वरिष्ठता के लिए गणना की जाने वाली परिवीक्षा पर-भर्ती नियम अंतर वरिष्ठता के निर्धारण के बारे में चुप हैं-वैधानिक नियमों द्वारा भरे गए अंतराल को भरने के लिए कार्यकारी निर्देश द्वारा जारी स्थायी आदेश-की प्रवर्तनीयता-अभिर्निधारितः कार्यकारी निर्देश वैधानिक नियमों के पूरक हो सकते हैं-इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता है कि वरिष्ठता की गणना नियुक्ति की तारीख से की जानी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थायी आदेश पुस्तिका (प्रशासनिक) खंड 1-भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) भर्ती नियम, 1988

अपीलार्थियों को सीधी भर्ती प्रक्रिया द्वारा अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) के पद पर नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाएं भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) द्वारा शासित होती हैं। भर्ती नियम, 1988 के नियमों के अनुसार, अपीलकर्ताओं को दो साल के लिए परिवीक्षा पर होना था और परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें नियमित अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारी श्रेणी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी थी। अनुभाग अधिकारी के रूप में अपीलार्थियों की वरिष्ठता की गणना अनुभाग अधिकारी श्रेणी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तारीख से की गई थी नियमित अनुभाग अधिकारियों के रूप में नियुक्ति हेतु। पीड़ित अपीलार्थियों ने आे.ए. दायर किया यह दावा करते हुए कि परिवीक्षा पर प्रारंभिक नियुक्ति अनुभाग अधिकारी से ए.ए.ओ. में पदोन्नति के उद्देश्य से वरिष्ठता के लिए मानी जानी थी। 1988 के भर्ती नियम प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में मौन थे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थायी आदेश नियमावली (प्रशासनिक) खंड 1 कार्यकारी निर्देश द्वारा जारी की गई थी। इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। वहाँ सफल होने में असमर्थ, अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

विचार के लिए जो सवाल उठा वह यह था कि क्या कार्यकारी निर्देश/स्थायी आदेश उस अंतर को भर सकते हैं जो नियमों द्वारा कवर

नहीं किया गया है और यदि बनाए गए हैं, तो नियमों के साथ असंगत नहीं है और क्या वे वैध और लागू करने योग्य हैं।

न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित कियाः

1.1. सरकार वैधानिक नियमों में संशोधन या उनका स्थान प्रशासनिक निर्देशों द्वारा, नहीं ले सकती है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप हैं तो सरकार अंतराल को भर सकती है और नियमों को पूरा कर सकती है और पहले से बनाए गए नियमों के साथ असंगत निर्देश जारी कर सकती है [पैरा 17] [528-जी]

1.2. वैधानिक नियम अंतर वरिष्ठता के निर्धारण के बारे में चुप हैं। नियमों के पूरक के लिए, वैधानिक नियमों द्वारा खाली पड़े अंतराल को भरने के लिए कार्यकारी निर्देशों द्वारा स्थायी आदेश जारी किए गए हैं। यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थायी आदेश नियमावली (प्रशासनिक) द्वारा स्पष्ट किया गया था। कार्यपालिका निर्देश के पैराग्राफ 5.6.6. में अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा के भाग II को उत्तीर्ण करने पर अनुभाग अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता के नियमन की विधि प्रदान की गई है । [पैरा 9, 13 और 19] [527-बी; 523-एच; 524-ए]

संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, ***ए.आई.आर. (1967) एस.सी. 1910, पालन किया।*** भारत संघ बनाम एच.आर.पाटनकर, ***[1984] (सप.) एस.सी.सी. 359, पर भरोसा किया।***

मोहन लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, ***[1997] 4 एस.सी.सी. 416, विशिष्ट।***

2. प्रस्तुतियाँ कि वरिष्ठता की गणना नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए, कि कार्यकारी निर्देश नियमों का पूरक नहीं हो सकते हैं, और केवल नियुक्ति के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने से अपीलकर्ताओं को नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा करने से रोका नहीं जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 14]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2000 की सिविल अपील संख्या 5013

दिल्ली उच्च न्यायालय के 2002 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 984 मे पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.07.2002 से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 5504/2003

एम.एन. कृष्णामणि, एन.के. नीरज, आर. संथानन कृष्णन, के. राधा रानी, पी. विजय कुमार, प्रवीण के. पांडे, सी. तुलारी कृष्णा, डी. महेश बाबू, अनिल गौतम, वी.के. सिंह, ओंकार प्रसाद, सौम्यजीत पानी एवं एम.पी. शोरावाला अपीलार्थियों के लिए।

यशराज सिंह देवड़ा, हर्षवर्धन झा, ध्रुव मेहता, (मेसर्स के.एल. मेहता एंड कंपनी के लिए) वी.जी. प्रगसम, कृष्ण महाजन, आर.सी. कथिया, रजनी सिंह, नीलम, अनिल कटियार, पी. एस. नरसिम्हा (मेंसर्स पी.एस.एन. एंड कंपनी के लिए) उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय **एच.के. सेमा, जे. के** द्वारा पारित किया गया

1. ये दोनों अपीलें तथ्यों और कानून पर समान्य सवाल उठाती हैं और उन्हें इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है। संक्षिप्तता के लिए, हम 2003 की सिविल अपील संख्या 5504 से तथ्य ले रहे हैं।

2. निर्विवाद तथ्य यह है कि अपीलार्थी लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) के पद पर सीधे भर्ती होते हैं। उनकी सेवाएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) भर्ती नियम, 1988 के रूप में जाना जाने वाले भर्ती नियमों द्वारा शासित होती हैं।

3. यह नियम अन्य बातों के साथ-साथ पदोन्नति द्वारा भर्ती, विफल रहने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण और दोनों में विफल रहने पर प्रत्यक्ष भर्ती का तरीका प्रदान करता है। नियम में यह भी प्रावधान है कि परिवीक्षा की अवधि दो साल है। नियम 11 के नोट में प्रावधान है कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें नियमित अनुभाग

अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारी श्रेणी परीक्षा (एस.ओ.जी.ई.) में अर्हता प्राप्त करनर होगी।

4. उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि नियुक्ति के नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हुए उन्हें चुनौती देने से रोक दिया जाता है।

5. अपीलार्थीयों की नियुक्ति विभिन्न तिथियों पर कुछ शर्तों पर की गई थी और सभी के लिए सामान्य स्थितियाँ, अन्य बातों के साथ-साथ नियम और शर्तें इस प्रकार हैंः

1. परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी। हालाँकि इसे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उनकी नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी होगी और दोनों तरफ से एक महीने के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है।

2. परिवीक्षा अवधि के दौरान उन्हें ऐसी जगह पर और ऐसे तरीके से, जो निर्धारित किया जा सकता है, नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरना होगा। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उन्हें नियमित कर्तव्य भी सौंपे जा सकते हैं।

3. प्रशिक्षण के दौरान अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा (एसओजीई) आयोजित की जाएगी। उसे परिवीक्षा अवधि के भीतर (एस.ओ.जी.ई.) (दोनों) भाग I और II परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जो लोग उपरोक्त परीक्षा

उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को नियमित अनुभाग अधिकारी (लेखापरीक्षा) के रूप में तैनात किया जाएगा।

4. XXX XXX XXX

5. XXX XXX XXX

6. परिवीक्षा के संतोषजनक समापन पर वह उस कार्यालय में स्थायीकरण के लिए पात्र होगा जहां उसे अनुभाग अधिकारी (लेखापरीक्षा) के रूप में नियमित आधार पर तैनात किया गया है, बशर्ते कि उसे स्थायी पद पर बने रहने के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त माना जाए। हालाँकि अनुभाग अधिकारी संवर्ग में उसकी पुष्टि से उसे वरिष्ठता का कोई विशेष दावा नहीं मिलेगा। कैडर के सीधे भर्ती वालों की वरिष्ठता के रूबरू विभागीय उम्मीदवारो जो नियमित अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) ग्रेड भाग II परीक्षा उतीर्ण है, के बनीस्पत वर्तमान में वरिष्ठता नियमों के अनुसार तय की जावेगी अर्थात सीधे भर्ती किए गए अनुभाग अधिकारी (ऑडिट) को अनुभाग अधिकारी (ऑडिट) कैडर में स्थानापन्न करने वाले अंतिम अनुभाग अधिकारी (ऑडिट) ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति के ठीक नीचे रैंक दी जाएगी, जिस दिन वह अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेगा।

6. विवाद तब उत्पन्न हुआ जब अनुभाग अधिकारी के रूप में अपीलकर्ताओं की वरिष्ठता की गणना उस तारीख से की गई जब वे

नियमित अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। इससे व्यथित होकर उन्होंने ओ.ए. को प्राथमिकता दी। उन्होंने दावा किया कि अनुभाग अधिकारी से ए.ए.ओ. तक पदोन्नति के उद्देश्य से परिवीक्षा के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति को वरिष्ठता के रूप में गिना जाना चाहिए।

7. यह स्पष्ट है कि 1988 के भर्ती नियमों में प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता कैसे तय की जाए, के संबंध में नियम मौन है।

8. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थायी आदेश पुस्तिका (प्रशासनिक) खंड 1 एक कार्यकारी निर्देश द्वारा जारी किया गया था।

9. पैराग्राफ 5.6.6. यह प्रावधान है कि अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा के भाग II को उत्तीर्ण करने पर अनुभाग अधिकारियों के पद पर सीधी भर्ती की वरिष्ठता निम्नलिखित विधि द्वारा विनियमित किया जाएगाः

> "(i) सीधे भर्ती किए गए अनुभाग अधिकारी को उस तिथि पर अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न स्टाफ के अंतिम अनुभाग अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण सदस्य के ठीक नीचे रैंक दी जाएगी, जिस दिन वह नियमित अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेगा। यदि कोई स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी किसी भी समय अपने पिछले पद पर लौटता है, छुट्टी पर जाने के कारण वापसी नहीं होती है, तो वह सीधे

भर्ती किए गए उन सभी लोगों की तुलना में अपनी वरिष्ठता खो देगा, जिन्हें उस तिथि तक अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। जिस पर वह फिर से लगातार कार्य करना शुरू कर देता है।

(ii) XXX XXX XXX

(iii) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति को भर्ती नियमों में निर्धारित परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा करने पर ही नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया जाता है, भले ही वह उस अवधि से पहले परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, उसकी वरिष्ठता उसके नियमित अनुभाग अधिकारी के वास्तविक कार्यभार संभालने पर भी प्रभावी होती है"।

10. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग भर्ती नियम, 1989 नियम 12 पदोन्नति द्वारा भर्ती से संबंधित है और यह प्रावधान करता है, 'अनुभाग अधिकारी (लेखापरीक्षा) जिन्होंने अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की है और ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा की है।

11. अनुभाग अधिकारी संवर्ग में वरिष्ठता पैराग्राफ 5.6 कार्यकारी निर्देश द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें लिखा हैः

"5.6.1(i) प्रत्येक सिविल ऑडिट कार्यालय एवं सिविल अकाउंट्स कार्यालय और प्रत्येक रेलवे ऑडिट कार्यालय का अपना अनुभाग अधिकारी संवर्ग होता है, सिवाय इसके कि ऐसा कोई भी कार्यालय दो या दो से अधिक स्वतंत्र कार्यालयों में पुनर्गठित होता है और जब तक कि जिन कार्यालयों में इसे पुनर्गठित किया गया है, उनके लिए संवर्ग अलग नहीं किया गया है।

(ii) अनुभाग अधिकारियों (वाणिज्यिक) की पारस्परिक वरिष्ठता भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी अलग-अलग आदेशों के तहत अखिल भारतीय आधार पर आधारित है।

(iii) इसी प्रकार वरिष्ठता अनुभाग अधिकारी (प्रत्येक रक्षा लेखा परीक्षा) और अनुभाग अधिकारी (पद और दूरसंचार लेखा परीक्षा) प्रत्येक को अलग से तय किया जाता है।

5.6.2 XXX XXX XXX XXX

5.6.3 XXX XXX XXX XXX

5.6.4 XXX XXX XXX XXX

5.6.5 XXX XXX XXX XXX

5.6.6. अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा के भाग II को उत्तीर्ण करने पर अनुभाग अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती की वरिष्ठता को निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा विनियमित किया जाएगाः

(i) सीधे भर्ती किए गए अनुभाग अधिकारी को उस तिथि पर अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न स्टाफ के अंतिम अनुभाग अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण सदस्य के ठीक नीचे रैंक दी जाएगी, जिस दिन वह नियमित अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेगा। यदि कोई स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी किसी भी समय अपने पिछले पद पर लौटता है, छुट्टी पर जाने के कारण नहीं, तो वह सीधे भर्ती किए गए उन सभी लोगों की तुलना में अपनी वरिष्ठता खो देगा, जिन्हें अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह तारीख जिस पर वह फिर से लगातार कार्य करना शुरू करता है।

नोंटः अंतिम अनुभाग अधिकारी श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण सदस्य का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है, न कि उस परीक्षा में जिसमें सीधी भर्ती सफल हुई है।

(ii) प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच।

(क) जो पहले अनुभाग अधिकारियों की ग्रेड परीक्षा पूरी तरह से उत्तीर्ण करता है, उसे बाद की तारीख में परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों से

वरिष्ठ रैंक दिया जाएगा, भले ही उनकी भर्ती की तारीख या अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा के भाग I को उत्तीर्ण करने की तारीख कुछ भी हो।

(ख) समान अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों के बीच, सापेक्ष वरिष्ठता भर्ती के वर्ष के अनुसार निर्धारित की जाएगी यानी भर्ती के पहले बैच से संबंधित लोग बाद के बैच से संबंधित लोगों से वरिष्ठ होंगे।

(ग) जहां भर्ती के एक ही बैच से संबंधित सीधी भर्ती वाले एक ही अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक वर्ग के रूप में वरिष्ठतम रैंक देंगे, उनके बीच वरिष्ठता चार्टर्ड अकाउंटेंट उत्तीर्ण करने की तारीख के संदर्भ में तय की जाएगी (अंतिम) परीक्षा, पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति को अगली परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति से वरिष्ठ दर्जा दिया जाता है। एक वर्ग के रूप में लागत और कार्य लेखाकारों को चार्टर्ड अकाउंटेंट के नीचे स्थान दिया जाएगा, उनके बीच अंतर वरिष्ठता चार्टर्ड अकाउंटेंट के समान ही निर्धारित की जाएगी। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट (अंतिम)/ आईसीडब्ल्यूए (अंतिम) परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि समान होती है, तो संबंधित वर्ग के व्यक्तियों के भीतर सापेक्ष वरिष्ठता उम्र में वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अन्य सभी व्यक्तियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स के नीचे एक वर्ग के रूप में रैंक किया जाएगा, नियुक्ति के लिए चयन के समय

सुरक्षित रैंक के अनुसार उनके बीच की वरिष्ठता तय की जाएगी। यदि रैंकिंग के प्रयोजनों के लिए, उनमें से दो या अधिक को कोष्ठक में रखा गया है, तो अधिक उम्र वाला व्यक्ति वरिष्ठ होगा।

(iii) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति को भर्ती नियमों में निर्धारित परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा करने पर ही नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, भले ही वह उस अवधि से पहले परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, उसकी वरिष्ठता उसके वास्तविक कार्यभार संभालने पर भी प्रभावी होती है। एक नियमित अनुभाग अधिकारी के रूप में।

(iv) एक बार जब किसी कार्यालय में सीधे भर्ती किए गए अनुभाग अधिकारी की वरिष्ठता तय हो जाती है, तो वह आगे की उन्नति के लिए होता है, जो अन्य अनुभाग अधिकारियों के लिए निर्धारित प्रावधानों द्वारा शासित होता है"।

उक्त स्थायी आदेश मैनुअल खंड 1 का पैरा 4.8 प्रदान करता है:

> "आईए एवं एडी में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (ए.ए.ओ.) के ग्रेड पर भर्ती अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड से पदोन्नति द्वारा की जाती है, जिन्होंने अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है और निर्णायक तिथि पर

ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा की है। फिटनेस के अधीन वरिष्ठता के आधार पर।

नोंटः सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों का चयन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के दौरान उन्हें नियमित अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा (एस.ओ.जी.ई.) में उत्तीर्ण होना होगा"।

12. नियमों और नियमावली को ध्यान से पढ़ने पर दो बातें स्पष्ट रूप से उभरके सामने आती हैं: (क) वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से निर्धारित योग्यता परीक्षा/विभागीय परीक्षा (एस.ओ.जी.ई.) में उत्तीर्ण होना और (ख) पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुभाग अधिकारी को बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति पर पूर्ववर्ती होगा।

13. हम पहले ही देख चुके हैं कि वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में नियम मौन हैं। नियमों के पूरक के लिए, कार्यकारी निर्देशों द्वारा स्थायी आदेश, जैसा कि ऊपर देखा गया है, वैधानिक नियमों द्वारा भरे गए अंतराल को भरने के लिए लाए गए हैं।

14. अपीलकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम.एन. कृष्णमणि ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि सामान्य सिद्धांत यह है कि वरिष्ठता की

गणना नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कार्यकारी निर्देश नियमों के पूरक नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि केवल नियुक्ति के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने से अपीलकर्ताओं को नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता। हम इन तर्कों से सहमत नहीं हैं। श्री कृष्णमणि द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि एक बार पदधारी ने विभागीय/अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो उसकी वरिष्ठता नियुक्ति की तारीख से संबंधित होगी। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, श्री कृष्णमणि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने *मोहन लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1997) 4 एस.सी.सी. 416*, के निर्णय का उल्लेख किया। जहाँ इस न्यायालय ने पैराग्राफ 8 में निम्नानुसार इंगित किया हैः

> "8. परीक्षा के संचालन से संबंधित इस नियम को पढ़ने से पता चलता है कि सरकार वर्ष में दो बार अप्रैल के तीसरे सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ताह के बीच, या ऐसी अन्य तारीखों पर परीक्षा आयोजित करेगी जो उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाती हैं। लोक प्रशासन संस्थान, शिमला द्वारा आयोजित परीक्षा नियमों के नियम 4 के पैराग्राफ (ii) में निर्धारित तरीके से होगी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि सरकार को वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता है और उम्मीदवारों को

परिवीक्षा पर पद पर शामिल होने की तारीख से दो साल के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। नियम प्रत्येक उम्मीदवार को चार मौके नहीं देता है। उन्हें दो साल के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा के सफल समापन और उसकी घोषणा पर उनकी वरिष्ठता नियुक्ति की तारीख से संबंधित होगी"।

(जोर दिया गया)

15. इस न्यायालय ने यह दृष्टिकोण इसलिए लिया है, क्योंकि उस मामले में नियम स्वयं एच.पी. उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के नियम 11(3)(i) का प्रावधान करता है। (निरीक्षणालय कर्मचारी, तृतीय श्रेणी) सेवा नियम 11(3)(i) में लिखा हैः

11.(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर और निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियुक्ति प्राधिकरण

(क) यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाता है।

(i) यदि ऐसे व्यक्ति को किसी स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया है तो उसकी नियुक्ति की तारीख से उसकी पुष्टि की जाएगी; या उस मामले के तथ्य वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं।

16. निर्धारित किया जाने वाला एकमात्र विवाद यह है कि क्या कार्यकारी निर्देशों/स्थायी आदेशों द्वारा नियमों द्वारा कवर नहीं किए गए

और नियमों के साथ असंगत न होने वाले अंतर को भरने के लिए वैध रूप से बनाया और लागू किया जा सकता है?

17. जो प्रश्न उठाया गया है वह अब पूर्णांक नहीं रह गया है। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने *संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. (1967) एस.सी. 1910* में इसी तरह के प्रश्न पर विचार किया है और पैराग्राफ 7 में निम्नानुसार कहा हैः

> "हम श्री एनसी चटर्जी के अगले तर्क पर विचार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि चयन ग्रेड पदों पर पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले किसी भी वैधानिक नियमों के अभाव में सरकार प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं कर सकती है और ऐसे प्रशासनिक निर्देश पहले से बनाए गए नियमों में नहीं पाए गए किसी भी प्रतिबंध को लागू नहीं कर सकते हैं। हम इस तर्क को सही मानने में असमर्थ हैं। यह सच है कि चयन ग्रेड पदों पर कनिष्ठ या वरिष्ठ ग्रेड के अधिकारियों की पदोन्नति के सिद्धांत को निर्धारित करने वाले नियमों में कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक वैधानिक नियम नहीं बन जाते इस संबंध में सरकार चयन ग्रेड पदों पर संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति में अपनाए जाने वाले सिद्धांत के

संबंध में प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं कर सकती है। यह सच है कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या उनका स्थान नहीं ले सकती है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप हैं तो सरकार अंतराल को भर सकती है और नियमों को पूरक कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो पहले से बनाए गए नियमों से असंगत न हों"।

(जोर दिया गया)

18. *भारत संघ बनाम एच.आर. पाटनकर,* [1984] सप. एस.सी.सी. 359, इस न्यायालय द्वारा एक समान दृष्टिकोण अपनाया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही किसी सेवा में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कोई वैधानिक नियम लागू नहीं हैं या भले ही वैधानिक नियम हैं लेकिन वे किसी विशेष विषय पर चुप हैं, यह सरकार को एक कार्यकारी आदेश द्वारा उचित वरिष्ठता नियम बनाने के लिए सक्षम है या जिस विषय पर वैधानिक नियम मौन हैं, उस विषय के संबंध में उचित वरिष्ठता नियम बनाकर वैधानिक नियमों की कमी को पूरा करना।

19. हम पहले ही देख चुके हैं कि परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण के बारे में वैधानिक नियम मौन हैं। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्थायी आदेश मैनुअल (प्रशासनिक) द्वारा स्पष्ट किया गया था। इसे

ध्यान में रखते हुए, ये अपीलें गुणहीन होने से तदनुसार खारिज की जाती हैं। कोई लागत नहीं।

एन. जे. याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विकास जैन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।